प्राक्कथन

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) भारत सरकार (जीओआई) की ओर से खाद्यान्न की खरीद, भण्डारण आवागमन, परिवहन, वितरण और बिक्री के उत्तरदायित्व के उद्देश्य से खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत निगमित हुआ था। एफसीआई केंद्रीय स्तर पर उपभोक्ता मामलें, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और राज्य स्तर पर राज्य सरकार एजेंसियों (एसजीएज़) के सहयोग से खाद्यान्न प्रबंधन प्रचालनों के अभिन्न अंग के रूप में धान/चावल के खरीद कार्य करता है। धान की खरीद का मुख्य उद्देश्य एक तरफ उपभोक्ताओं {लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) लाभार्थियों सहित} को न्यूनतर दर पर चावल (धान की मिलिंग के बाद) उपलब्ध कराना है और किसानों को न्यूनतम समर्थन कीमत (एमएसपी) उपलब्ध कराना है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, लेखापरीक्षा ने केन्द्रीय पूल के लिए धान की खरीद और मिलिंग के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए और एफसीआई/एसजीएज़ को चावल के प्रतिपादन के लिए एफसीआई/राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों की निष्पादन लेखापरीक्षा की। निष्पादन लेखापरीक्षा में 2009-10 से 2013-14 तक पाँच वर्ष की अवधि शामिल थी और आंध्रपदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ओडिसा, पंजाब, तेंलगाना, और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों सें संबधित अभिलेखों की जांच सम्मिलित थी जोकि 2012-13 के दौरान कुल खरीद के लगभग 95 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी थे।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन देश में एफसीआई/एसजीएज़ द्वारा धान की खरीद और मिलिंग के सैद्धान्तिक और परिचालनात्मक प्रारूप में काफी खामियां/कमियां उजागर करती है। लेखापरीक्षा में एफसीआई/एसजीएज़ द्वारा घटिया धान की खरीद के अतिरिक्त प्रामणिकता प्राप्त किये बिना किसानों को अदा की गई एमएसपी के बहुत अधिक घटना एफसीआई/एसजीएज़ को चावल मिल मालिकों द्वारा धान/ चावल की बहुत बड़ी मात्रा की गैर सुपुर्दगी, और धान/चावल के परिवहन में अनियमितताएं पाई गई। परिणामस्वरूप दोनों उत्पादकों अर्थात किसान और अंतिम उपभोक्ता अर्थात टीपीडीएस लाभार्थियों की लागत पर चावल मिल मालिकों/मध्यम लॉजिस्टिक्स देने वालों को लाभ प्राप्त हुआ और अंतत: जिसके कारण भारत सरकार की खाद्य सब्सिडी व्यय में भी परिहार्य वृद्धि हुई।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निष्पादन लेखाकरण दिशानिर्देश 2014 और लेखाकरण मानकों के अनुसार तैयार की गई है।

लेखापरीक्षा मंत्रालय/एफसीआई/राज्य सरकारों और उनकी क्षेत्रीय संरचनाओं से लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हैं। हम आशा करते हैं कि सरकार मिलिंग प्रभारों के पुन निर्धारण, उत्पादन अनुपात तथा शुष्कता छूट; प्रामाणिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भुगतान और मिलर के पास रखे अनाज के लिए अनुप्रांसगिक प्रतिभूती आदि पर की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु शीघ्र कार्यवाही करेगी।